न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 3 / 11 / 2025 दायर दिनांकः– 14 / 05 / 2025

जीसीएमएस नं0ः–2025 / 222 निर्णय दिनांकः– 27 / 10 / 2025

बउनवान

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र बडडनसिंह जाति मीना निवासी रेला तहसील कठूमर जिला अलवर।

–– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा– 1956

उपस्थितिः–1.श्री बनैसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर अप्रार्थी

–ःआदेशः–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 766, का 1 / 21 वाके ग्राम अरूवा व आराजी खसरा नम्बर 84, 96, का 1 / 42 हिस्सा, वाके ग्राम रेला व अराजी खसरा नम्बर 793, का 1 / 30 हिस्सा, 1259, 1260, 1261, 1262, 630, का 1 / 48 हिस्सा, 1581 / 1979 का 1 / 48 हिस्सा, 1643, 1731 का 11 / 288 हिस्सा, 1732, 1733, का 1 / 144 हिस्सा, 1269, 629, का 1 / 24 हिस्सा, 1641, 1642, का 1 / 144 हिस्सा, 1263, 1270, का 1 / 45 हिस्सा, 793 का 1 / 30 हिस्सा, वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता बडडनसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

रेकार्ड में प्रार्थी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्री बडडनसिंह जाति मीना निवासी रेला है प्रार्थी के पिता बडडनसिंह के स्वर्गवास हो जाने पर उनका विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियान ने प्रार्थीया के सही नाम की जानकारी किये बिना ही बिना सुने बिना बुलाये बिना नोटिस दिये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से नरेन्द्र के स्थान पर नरेश दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीया का सही नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र बडडनसिंह ही दर्ज होना चाहिये लेकिन राजस्व कर्मचारियान ने उक्त आराजी पर प्रार्थीया का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र बडडनसिंह के स्थान पर नरेश गलत दर्ज कर रखा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर तहसील कठूमर पर प्रार्थीया नरेश के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र बडडनसिंह दर्ज कर हाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जामबन्दी हाल, नकल इन्तकाल,नकल फॉटो प्रति जनअधार, नकल फोटो प्रति राशनकार्ड, नकल फोटो प्रति मा0शि0 बोर्ड मार्कशीट, नकल फोटो प्रति आधार कार्ड, संरपच ग्राम पंचायत के लैटर पैड, आदि दस्तावेज पेश किये गये जो जो शामिल मिसल किये गये।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया का नाम नरेश के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र बडडनसिंह है। जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध पहचान के समस्त दस्तावेजात से होती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर यह पाया कि प्रार्थीया का नाम नरेश के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र बडडनसिंह है। राजस्व रेकार्ड में इस तरह की दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेशः—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 766, का 1/21 वाके ग्राम अरूंवा व आराजी खसरा नम्बर 84, 96, का 1/42 हिस्सा, वाके ग्राम रेला व अराजी खसरा नम्बर 793, का 1/30 हिस्सा, 1259, 1260, 1261, 1262, 630, का 1/48 हिस्सा, 1581/1979 का 1/48 हिस्सा, 1643, 1731 का 1/288 हिस्सा, 1732, 1733, का 1/144 हिस्सा, 1269, 629, का 1/24 हिस्सा, 1641, 1642, का 1/144 हिस्सा, 1263, 1270, का 1/45 हिस्सा, 793 का 1/30 हिस्सा, वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में प्रार्थी का नाम नरेश के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र बडडनसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)